न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
20/2017	दावा 177 RTA	14.02.2017	23.03.2018

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

—वादी—

बनाम

1. उच्छवकंवर बेवाह करणीसिंह
2. भानीसिंह, रोहिताशसिंह
3. रेवन्तकंवर
4. नोरंगसिंह
5. हंसराजकंवर
6. छगनसिंह
7. बालूसिंह

(क्रमांक 2 से 7 — पि. करणीसिंह)

8. भंवरकंवर बेवाह डालूसिंह
9. रूकमणकंवर बेवाह बलदेवसिंह
10. खंगारकंवर पुत्री डालूसिंह

(क्रमांक 1 से 10 — जाति राजपूत निवासीगण खण्डवा पट्टा झारिया)

11. कुमेरसिंह महेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह नानूसिंह कृष्णकंवर, कुनणकंवर पि. बलदेवसिंह
12. राजूकंवर पत्नी लिछमणसिंह
13. धन्नेसिंह पुत्र सोहनसिंह, ओमकंवर, सुमन पि. लिछमणसिंह
14. सोनाकंवर पत्नी सार्दूलसिंह
15. नोरंगसिंह दत्तक पुत्र सार्दूलसिंह जाति राजपूत सा. देह
16. उप पंजीयक, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1)(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — 1. पैरोकार राज उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री शिवसिंह राठौड़ प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1)(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया के खेत खसरा नं. 14, 73, 74, 140, 141, 9, 255/6, 15, 16 तादादी 77.17 बीघा किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 से 15 के नाम से संयुक्त खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 15 के खातेदारों को, राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है। जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। यह कि वाद की

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी खातेदारों द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि को अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया व भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग कार्य करके भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 से 15 तक के खातेदारों ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के कब्जे में उक्त भूमि को छोडा जाना उचित नहीं है क्योंकि खातेदार प्रतिवादी सं0 1 से 15 तक कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखली योग्य हो गये हैं।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 से 15 तक के द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादी सं0 1 से 5 उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये हैं व बेदखली होने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये हैं जिसके लिए माननीय न्यायालय को आर.टी. एक्ट की धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) में श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह है कि प्रतिवादी सं0 1 से 15 तक के खातेदारों द्वारा उक्त भूमि के आवासीय भूखण्डों (प्लॉटस) के विक्रय पत्र बिना भूमि का रूपान्तरण कराये बाला बाला प्रतिवादी सं0 16 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाने की सम्भावना है इस कारण प्रतिवादी सं0 16 उप पंजीयक चूरू को पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादी की ओर से वादगत भूमि को अकृषि उपयोग में नहीं लेने हेतु बार-बार कहा गया मगर प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। अतः इसी दिनांक से वादी को भूमिधारी होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक (cause of action) प्राप्त हुआ है। यह कि अदालतवाला को यह वाद सुनवाई के अधिकार प्राप्त हैं तथा दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। चूंकि दावा राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिए न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि:-

1. ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 14, 73, 74, 140, 141, 9, 255/6, 15, 16 तादादी 77.17 बीघा किस्म बारानी को प्रतिवादी सं0 1 से 15 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवायचक भूमि घोषित की जावे।
2. प्रतिवादी सं0 1 से 15 तक को उपरोक्त वर्णित भूमि से बेदखल करने का आदेश फरमाया जावे।

वादी तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 15 की ओर से दिनांक 16.03.2017 को श्री शिवसिंह राठौड़ एडवोकेट उपस्थित हुए एवं वकालतनामा एवं जवाब आईन्दा पेश करने का निवेदन किया। तत्पश्चात् काफी समय तक पत्रावली जवाबदावा व वकालतनामा पेश करने हेतु लम्बित चलती रही परन्तु वकील प्रतिवादीगण की ओर से ना तो वकालतनामा पेश किया और ना ही जवाब पेश किया। इस दौरान उनको बार-बार हिदायत दी जाकर आवश्यक व अन्तिम अवसर प्रदान किये गये। अन्ततः दिनांक 27.12.2017 को स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया गया परन्तु नियत दिनांक को वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे जिस पर न्यायालय समय में प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादीगण को रूक-रूक कर बार-बार आवाजें लगाई गई परन्तु ना तो प्रतिवादीगण उपस्थित आये एवं ना ही वकील प्रतिवादीगण। अतः प्रतिवादी सं. 1 से 15 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

साक्ष्यवादी में पैरोकार राज ने कथन किया कि प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है इसलिए दावे के समर्थन में पेश दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का को ही साक्ष्यवादी माना जावे। जिस पर पत्रावली साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नं. 14, 73, 74, 140, 141, 9, 255/6, 15, 16 तादादी 77.17 बीघा रोही खण्डवा पट्टा झारिया प्रतिवादी खातेदारों को कृषि कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई थी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये तथा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा मौके पर भूमि को समतल करके पट्टियां लगाकर प्लॉटिंग कर दी है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया है तथा खातेदार को दिये गये खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 15 तक के खातेदार बेदखली योग्य हो गये हैं तथा वादगत भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 15 के खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गई है। अतः वादगत कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जावे। वादी ने दावा के साथ खण्डवा पट्टा झारिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खसरा नम्बर 14, 71, 73, 74, 91, 100, 138, 140, 141, 160, 180, 182 एवं ख.नं. 9, 247/67, 255/6 व ख.नं. 15, 16 तथा प्रमाणित नक्शा खसरा नम्बर उपरोक्त तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का खण्डवा पट्टा झारिया दिनांक 09.01.2017 पेश किये।

पैरोकार राज की प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खसरा नम्बर 14, 73, 74, 140, 141 रोही खण्डवा पट्टा झारिया, नकल नक्शा ख0नं0 14, 73, 74, 140, 141 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का खण्डवा पट्टा झारिया दिनांक 09.01.2017 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दियों के अवलोकन से यह जाहिर है कि ख.नं. 9, 247/67, 255/6 व ख.नं. 15, 16 के खातेदारों को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। नियमानुसार तहसीलदार, चूरू को उक्त खसरा नम्बरों के खातेदारों का अलग से प्रकरण बनाया जाकर पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 14, 71, 73, 74, 91, 100, 138, 140, 141, 160, 180, 182 रोही ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया के अनुसार उक्त वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 15 की खातेदारी भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का खण्डवा पट्टा झारिया दिनांक 09.01.2017 के अनुसार उक्त वादगत कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 14, 73, 74, 140, 141 तादादी क्रमशः 4.10 बीघा, 4.05 बीघा, 13.07 बीघा, 8.07 बीघा, 10.15 बीघा को प्रतिवादी सं. 1 से 15 ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है जैसा कि नकल नक्शा में पटवारी हल्का द्वारा दर्शित किया गया है, उक्त खातेदारों द्वारा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर प्लॉटिंग कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है। दूसरी तरफ प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक ने काफी समय एवं अवसर दिये जाने के बावजूद भी न तो जवाबदावा पेश किया है एवं न ही कोई एतराज या आपत्ति पेश की है एवं तत्पश्चात् उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात से दावा वादी उचित

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतीत होता है। वादी ने अपने पेश दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है जिससे ये दस्तावेज प्रमाणित होकर दावा वादी प्रमाणित होता है। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 15 को कृषि कार्यों हेतु दी जाकर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे। वादगत भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 से 15 ने उनको दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर प्लॉटिंग कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है। इस प्रकार प्रतिवादी खातेदारों द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति या रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि को अकृषि कार्य में लिया जाकर कृषि भूमि की प्रकृति बदला जाना स्पष्ट होता है, इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादी तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 14, 73, 74, 140, 141 तादादी क्रमशः 4.10 बीघा, 4.05 बीघा, 13.07 बीघा, 8.07 बीघा, 10.15 बीघा रोही खण्डवा पट्टा झारिया से प्रतिवादी सं. 1 से 15 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 15 के स्थान पर सिवाय चक दर्ज किया जावे एवं कब्जा बहक सरकार लिया जावे। साथ ही तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के ख.नं. 9, 247/67, 255/6 व ख.नं. 15, 16 के पृथक्–पृथक् प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

–वादी–

बनाम

1. उच्छवकंवर बेवाह करणीसिंह
2. भानीसिंह, रोहिताशसिंह
3. रेवन्तकंवर
4. नोरंगसिंह
5. हंसराजकंवर
6. छगनसिंह
7. बालूसिंह
8. भंवरकंवर बेवाह डालूसिंह
9. रूकमणकंवर बेवाह बलदेवसिंह
10. खंगारकंवर पुत्री डालूसिंह

(क्र. 2 से 7 — पि. करणीसिंह; क्र. 1 से 10 — जाति राजपूत निवासीगण खण्डवा पट्टा झारिया)

11. कुमेरसिंह महेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह नानूसिंह कृष्णकंवर, कुनणकंवर पि. बलदेवसिंह
12. राजूकंवर पत्नी लिछमणसिंह
13. धन्नेसिंह पुत्र सोहनसिंह, ओमकंवर, सुमन पि. लिछमणसिंह
14. सोनाकंवर पत्नी सार्दूलसिंह
15. नोरंगसिंह दत्तक पुत्र सार्दूलसिंह जाति राजपूत सा. देह
16. उप पंजीयक, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1)(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नं. 20 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी, मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

वादी तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश दावा स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 14, 73, 74, 140, 141 तादादी कमशः 4.10 बीघा, 4.05 बीघा, 13.07 बीघा, 8.07 बीघा, 10.15 बीघा रोही खण्डवा पट्टा झारिया से प्रतिवादी सं. 1 से 15 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि वादगत कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 15 के स्थान पर सिवाय चक दर्ज किया जावे एवं कब्जा बहक सरकार लिया जावे। साथ ही तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जाता है कि रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के ख.नं. 9, 247/67, 255/6 व ख.नं. 15, 16 के पृथक्–पृथक् प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह मार्च सन् 2018 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू